फर्द अहकाम

खेरान देवी **बनाम** आशादेवी वगैरह

न्यायालय SDO शाहपुरा

संख्या 42/19

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
3.10.19	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक सघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. ...... को पेश हो। (रीडर)	
9.10.19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वकील वादी ने बहस सुनाई कि रिपोर्ट पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए किया व प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है अतः मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट के तावा अन्तिम डिग्री जारी किया जाता है विस्तृत आदेश अलग से लिखाया जावे। हुक्म सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 42/2019

उनवान

सरोज देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति नायक नि0 8–डी के नगर खातीपुरा रोड़ झोडवाडा जिला जयपुर

वादीया

बनाम

1. आशा देवी पत्नि योगराज नायक
2. बबली पुत्री योगराज ना.बा. जरिये संरक्षका माता आशा देवी पत्नि योगराज
3. सुशीला देवी पत्नि राधेश्याम नायक नि0 शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र उमराव सिंह जाति चमार नि0 बाबडीपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः 9.10.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वादपत्र पेश किया गया है कि खसरा नम्बर 8130 रकबा 2.4300 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादीया का हिस्सा 19/32 का सहखातेदार है एवं प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 1/128 व प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 1/128 व प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 1/64 व प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 3/8 के सहखातेदार है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण है तथा वादीया व प्रतिवादीगण मनबट अनुसार काबिज काश्त है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है।यह है कि वादीया व प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर पूर्व में हुए मनवट बंटवारे अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 की नियत में फितुर आ जाने के कारण बिना विधिक तकासमा करवायें ही भूमि को अपने हिस्से से अधिक भूमियों पर कब्जा करके भूमियों को बैचान करने पर अमादा है एवं अच्छी भूमि पर जबरन निर्माण कर रहे है तथा अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा करके कॉलोनी विकसित करना चाहते है व वादीया के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है और कहते है कि इस भूमि पर कब्जा करके निर्माण कार्य करेंगे तथा अन्य किसी दीगर व्यक्ति को बैचान हस्तान्तरण करके रहेंगें तथा तुम्हें उक्त भूमि से बेदखल करके रहेंगें। जबकि वादीया ने अपने हिस्से की भूमि पर काफी पैसा खर्च करके उपजाऊ बनाया है जिसके बावजूद प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 लठबल व बाहुबल के आधार पर वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा करके खुर्द बुर्द करने को अमादा है। जिससे वादीया को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार विधिक बंटवारा करवाने हेतु निवेदन कर चुकी है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 लगा0 4 विधिक बंटवारा नहीं करवाना चाहते हैं। दिनांक 25.06.2019 को प्रतिवादीगण वादीया के हिस्से की भूमियों पर आये तथा बिना किसी बात के वादीया के साथ गाली गलोच की तथा धमकियां दी कि हम अपने हिस्से से ज्यादा भूमियों पर कब्जा करके रहेंगें और तुमने हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही की कोशिश की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगें। तथा वादीया को ऐलानिया धमकी दी कि हम बिना विधिक तकासमा करवाये ही अपनी हिस्से की भूमि से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर निर्माण करेगे तथा तुम्हें उक्त भूमियों के के उपयोग उपभोग से वंचित करेगे जो कि उक्त कथन से वादीया के लिये उक्त वाद बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ।

यह है कि वादीया का अधिकार है कि वह उक्त सामलाती भूमि का विधिवत बंटवारा सरस नरस व कब्जे कायत के आधार पर करवाये एवं प्रतिवादी स. 1 लगा0 4 को पाबन्द करवाये कि वह विधिक बंटवारा होने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे, वादीया को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, उक्त भूमियो का बिना किसी विधिक तकासमे के बैचान हस्तांतरण नहीं करें एव नाही कॉलोनी आदि विकसीत करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वय करे, नाही अपने परिवारजन व ना ही एजेन्ट–सर्वेन्ट से करवाये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सुचित किया गया। बावजूद सूचना के प्रतिवादी स. 1 लगा0 3 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी सं0 4 दिनांक 2.8.2019 को उपस्थित ... बंटवारा हेतु मौखिक सहमति प्रदान की तथा कोई जवाबदावा पेश नहीं करना चाहा ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned by CamScanner

वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को दिनांक 16.09.2019 को लिखा गया। तहसीलदार शाहपुरा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/3863 दिनांक 01.10.2019 को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

वकील वादीया ने अपनी एक पक्षीय बहस में मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के मुताबिक दावा डिकी किया जाने हेतु निवेदन किया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादीया/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. प्रतिवादी सं0 1 के नाम आराजी ख0नं0 8130/1 रकबा 0.0190 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
2. प्रतिवादी सं0 2 के नाम आराजी ख0नं0 8130/2 रकबा 0.0190 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
3. प्रतिवादी सं0 3 के नाम आराजी ख0नं0 8130/3 रकबा 0.0380 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
4. प्रतिवादी सं0 4 के नाम आराजी ख0नं0 8130/4 रकबा 0.9120 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
5. वादीया के नाम आराजी ख0नं0 8130/5 रकबा 1.4420 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9.10.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्डअधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 42/2019

उनवान

सरोज देवी पत्नि ओमप्रकाश जाति नायक नि0 8–डी के नगर खातीपुरा रोड झोडवाडा जिला जयपुर

वादीया

बनाम

1. आशा देवी पत्नि योगराज नायक
2. बबली पुत्री योगराज ना.बा. जरिये संरक्षका माता आशा देवी पत्नि योगराज
3. सुशीला देवी पत्नि राधेश्याम नायक नि0 शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र उमराव सिंह जाति चमार नि0 बाबडीपुरा नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः ....

अतः दावा मुताबिक तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया/प्रतिवादीगण के निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. प्रतिवादी सं0 1 के नाम आराजी ख0नं0 8130/1 रकबा 0.0190 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
2. प्रतिवादी सं0 2 के नाम आराजी ख0नं0 8130/2 रकबा 0.0190 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
3. प्रतिवादी सं0 3 के नाम आराजी ख0नं0 8130/3 रकबा 0.0380 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
4. प्रतिवादी सं0 4 के नाम आराजी ख0नं0 8130/4 रकबा 0.9120 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।
5. वादीया के नाम आराजी ख0नं0 8130/5 रकबा 1.4420 है0 भूमि ग्राम शिवुपरी पटवार हल्का मनोहरपुर हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 9.10.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्श के लिए स्टाम्प 4 ...... रुपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner